न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/2022

1. अशोक कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 5 के.डी. ए तहः रावला हाल आबाद चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. बालीदेवी पत्नी हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
2. जगदीश पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
3. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री दिलीपसिंह अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से

–: आदेश :– दिनांक ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के पडदादा रामजस पुत्र मामराज के नाम से तहसील अबोहर के ग्राम गुमजाल की खेवट संख्या 30, खतूनी नं. 491 से 498 का खसरा नं. 160, 161, 165, 317, 318 मे करीब 6 किला महंगी कीमत की पुश्तैनी कृषि भूमि थी। प्रार्थीगण के पडदादा ने उपरोक्त पुश्तैनी भूमि को हमारे दादा हंसराज की सहमति से उसको आगे हंसराज व उसके सगे भाई मोहनलाल पुत्रगण ताराचंद को वर्ष 1983 में विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि के विक्रय करने उपरान्त उससे प्राप्त प्रतिफल राशि प्रार्थीगण के दादा हंसराज को सुपुर्द कर दिये ताकि वे इस रकम से आगे अपनी अन्यत्र भूमि क्रय कर सके। उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्राप्त प्रतिफल राशि से प्रार्थीगण के दादा हंसराज ने तत्कालिन तहसील पीलीबंगा हाल तहसील गोलूवाला का चक 4 एच. डी.पी. का मुरब्बा नं. 55/29 में 3.795 हैक्टेयर भूमि क्रय की। उपरोक्त भूमि में से वर्ष 1989 में अपने हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्सा मनोहरलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई को बेच दिया तथा शेष 1/2 हिस्सा रामजस पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 25 एम.ओ.डी. को दिनांक 24.07.1989 को विक्रय [illegible] । उसी पुश्तैनी भूमि रकम से प्रार्थीगण के दादा ने पहले जरिये [illegible] खाजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मु0नं0 34/56 की कुल 2.5292 हैक्टेयर [illegible]/अनकमाण्ड कृषि भूमि क्रय की थी तथा उसके बाद उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्राप्त रकम से ही खरीदशुदा [illegible] भूमि का बैयनामा प्रर्थीगण के दादा ने प्रार्थीगण की दादी [illegible]लीदेवी पत्नी हंसराज [illegible] बिश्नोई के नाम से दिनांक 17.09.2013 को तस्दीक करवा लिया तथा प्राप्त रकम में से कुछ रूपयों से रहने के लिये उपरोक्त मुरब्बा नं0 34/56 में मकान बना लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:13 IST
Reason: SelfAttested

इसप्रकार उपरोक्त धारित कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की दादी के नाम से दर्ज है, वह प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। चूंकि उपरोक्त भूमि पहले पंजाब में थी उसकी प्रतिफल राशि से ही आगे चक 25 एमओडी में खरीद की थी और उपरोक्त 25 एमओडी की भूमि को विक्रय कर उसी रकम से प्रार्थीगण के दादा ने वर्तमान भूमि चक 17 बीएलडी बी में खरीद की थी। जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की दादी के नाम से चली आ रही है इसप्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण का बाई बर्थ हक एवं हिस्सा मुताबिक हिन्दू विधि एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित एवं निश्चित हो गया है। प्रार्थीगण के दादा हंसराज के दो लड़के है। जिनका नाम वेदप्रकाश व अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश है इसप्रकार दोनों प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में 1/3 हिस्सा यानि 0.8430 हैक्टर भूमि बनती है जिसपर जन्म से ही प्रार्थीगण का हक एवं हिस्सा निश्चित है और प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा 34/56 के किला नं0 7 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण के हक एवं 1/3 हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थीगण अन्य किसी को विक्रय नहीं करे एवं उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक एवं हकूको पर कुठाराघात हो तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तलवी अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह ने उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी कड़ी मेहनत व अपने जीवन की जमा पूंजी से चक 17 बीएलडी बी का मु0नं0 34/56 की कुल 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा विक्रेता परमेशवरीदेवी को दिनांक 11.09.2013 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि रूबरू गवाहन के अदा कर विधिवत रूप से खरीद कर पंजीबद्व हुई है जो कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की समस्त जीवन की जमापूंजी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर खरीद के दिन से मौका पर कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी सं0 1 अपने उक्त भूमि मकान बनाकर अकेली निवास कर रही है। अप्रार्थी सं0 1 वर्तमान में काफी वृद्व है तथा वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी की महिला है और उक्त भूमि ही अप्रार्थी सं0 1 के बुढापे व जीवन के अन्तिम पड़ाव का एकमात्र सहारा व स्त्रोत है इसलिए वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की निजी व व्यक्तिगत सम्पति है। जिसमें किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। ''भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यनियकत अपनी सम्पति होगी। हिन्दू नारी के कब्जे में कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी''। माता–पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 22 व 23 में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारो को संरक्षित करने का प्रावधान दिये गये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित पैतृक सम्पतियां ग्राम गुमजाल व 4 एचपीडी की सम्पति का अप्रार्थी सं0 1 की सम्पति के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में कोई हित निहित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 1 व 2 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मनगढत तथ्यो के आधार पर पेश किये गये प्रार्थनापत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त दावा पुश्तैनी के संबंध में अपने हको के लिए उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है जिसके साथ यह टीआई प्रार्थनापत्र पेश किया है। श्रीमानजी हम प्रार्थीगण के पड़दादा रामजस के पुश्तैनी कृषि भूमि अबोहर तहसील का ग्राम गुमजाल के विभिन्न खसरों में थी पड़दादा ने उपरोक्त भूमि हमारे दादा की सहमति से आगे वर्ष 1983 में विक्रय कर दिया और उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से तहसील पीलीबंगा का चक 4 एचडीपी में मुरब्बा नं0 55/19 की 3.795 है0 कृषि भूमि क्रय की थी। फिर उस भूमि को भी आगे विक्रय कर दिया फिर उसी पुश्तैनी से मिलि प्रतिफल राशि से हमारे दादा ने खाजूवाला तहसील का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा नम्बर 34/56 में कृषि भूमि दिनांक 17.09.2013 को क्रय की जिसका बैयनामा एक प्रतिशत की बचत करने के लिए हमारी दादी बालीदेवी के नाम से बैयनामा तस्दीक करवा दिया। इसप्रकार उपरोक्त भूमि मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम हमारी पुश्तैनी भूमि बखुबी साबित है जिसपर जन्म से ही हमारा हक एवं हिस्सा निश्चित है यह सम्पति अप्रतिबधितदाता की श्रेणी में आती है तो हमारे पूर्वजो से हमारे पड़दादा, दादा को विरासत में मिला है। वर्तमान में हमारे चाचा जगदीश के बेईमानी आ गई वह हमारी दादी से मिलकर उक्त भूमि को विक्रय करवाना चाहता है अगर वह अपने मकसद से कामयाब हो गया तो हमारे हिस्से की कृषि भूमि भी स्वतः आगे विक्रय हो जायेगी जिससे हम हमारे विधिक अधिकारों से वंचित हो जाएगें और दावे का मकसद की समाप्त हो जायेगा इसप्रकार प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या प्रकरण साबित है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 जानबुझकर हमें हमारे अधिकारों से वंचित करना चाहते है इसलिए हमने यह दावा पेश किया है वर्ना 2013 से आजतक हमने कभी भी अप्रार्थी के विरुद्ध वाद पेश नहीं किया है अप्रार्थी ने अपने जवाब में कहा की प्रार्थीगण अपने दादा एवं दादी का बहुत सम्मान करते है उनका पूरा ख्याल रखते है उन्होने कभी भी अपने दादा दादी के साथ मारपीट नहीं की है व अप्रार्थी ने जवाब के साथ भी ऐसा कोई दस्तावेज, एफ.आई.आर., किसी पुलिस कार्यवाही की कोई प्रतिलिपि कोई अदालत में पेश नहीं की है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी ने मारपीट की है। अप्रार्थी ने विशेष कथन में यह अंकित किया है कि उसने अपनी कड़ी मेहनत व जमापूंजी से यह भूमि क्रय की है चूंकि अप्रार्थी ना तो कोई नौकरी करती है और नाही कोई व्यापार करती है नाही उस[illegible] वह स्वंय के रुपयों से यह भूमि खरीद कर सकती है। पुश्तैनी भूमि को [illegible] क्रय [illegible] खरीद की थी जैसा की जवाब के पैरा संख्या 3 में अप्रार्थी [illegible] है। इसप्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने अपने जवाब सीनीयर सिटीजन का हवाला दिया है तो सही तथ्य यह है कि अगर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के साथ मारपीट करते उनको तंग परेशान करते तो वइ इस एक्ट में अदालत हाजा के समक्ष कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र है लेकिन वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण उनकी दादी एवं दादा का प्रार्थीगण भरणपोषण सदैव तत्पर एवं तैयार रहे है फिर भी अगर वह भरणपोषण की मांग करते है तो ग्राम की सामाजिक एवं रिस्तेदारों के बीच में पंचायत जो तय करेगी वो मासिक रूपये के हिसाब से देने को तैयार है अगर अदालत हाजा में भी सीनियर सिटिजन के तहत प्रार्थनापत्र पेश करते है तो प्रार्थी उनका भरणपोषण देने को तैयार है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 अपने छोटे पुत्र जगदीश के प्रभाव में है तथा उसी के कहने में आकर यह भूमि विक्रय करना चाहती है तथा उससे प्राप्त राशि को वह जगदीश को देना चाहती है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में धारा 14 ए हिन्दू नारी की सम्पति के संबंध में लिखा है कि यह सम्पति उसकी आत्यनियकत सम्पति है यह सिद्धान्त इस सम्पति के संबंध में लागू नहीं होता चूंकि उपरोक्त कृषि वर्ष 2013 बालीदेवी के नाम से हस्तान्तरण हुई जिसको 9 वर्ष हुआ है जबकि प्रार्थी की उर्म करीब 26 से 30 उनका जन्म 2000 से पूर्व का है इसप्रकार जब उनका जन्म हुआ उसी समय बाई बर्थ उनका उपरोक्त भूमि जो उनके पूर्वजों की थी में हक हिस्सा 1/3 निश्चित हो गया था और उनके जन्मसिद्ध हक एवं हिस्से कृषि भूमि को बेचकर ही उसी राशि से ही वर्ष 2013 में वादग्रस्त हमारे दादा ने खरीद की थी इसप्रकार यह पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसका सिर्फ स्टाफ ड्यूटी बचाने के लिए हमारी दादी के नाम से दर्ज करवा दी थी इसलिए उपरोक्त धारा 14 ए के तहत इस भूमि के संबंध में कोई भी धारणा नहीं की जा सकती है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैंड से आया है तथा प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण पूर्ण रूप से साबित है यदि अप्रार्थी सं0 1 व 2 आपस में मिलकर वादग्रस्त भूमि विक्रय कर देंगें तो प्रार्थी के हक एवं हिस्से की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 34/56 की कुल 2.5292 है0 का 1/3 हिस्सा भी साथ में विक्रय हो जायेगा प्रार्थीगण को अपूर्णतीय क्षति होगी और इस भूमि के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई भूमि नहीं है वह भूमिहीन हो जाएगे अतः तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला वाद स्वीकार करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थीगण का मनगढत बातों के आधार पर पेश प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित भूमि है और प्रार्थीगण ने अपनों कथनों को साबित करने के पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में मामला बनता हो और भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम है इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में है और प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाते हुवे दिनांक 25.03.22 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावें। अप्रार्थी सं0 1 ता 2 अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस का अध्ययन मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 34/56 के किला नं0 7,8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 2.5292 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण अशोककुमार वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 25.03.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक ....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:13 IST
Reason: SelfAttested